the Translators' category for the last three years.

(d) A joint representation has been received in this regard. Seniority List of Sr. Translators of Central Translation Bureau has been issued on 8.12.95, as per the directions of the Central Administrative Tribunal.

**Allotment of Petrol Pumps in Chandigarh**

1697. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) how many petrol pump distributorships were allotted in Chandigarh and other towns of Punjab under different categories during the last three years;

(b) whether the norms laid down for allotment of petrol pumps have been strictly complied with; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) During the last 3 years i.e. 1992-93 to 1994-95, 5 retail outlets at Chandigarh and 66 retail outlets in other towns of Punjab were awarded on the basis of the recommendations of the Oil Selection Boards.

(b) and (c) The selections of dealers have been made by the Boards in accordance with the laid down procedure.

**"मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण"**

1698. **श्री अजीत जोगी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या सरकार को मध्य प्रदेश विशेषरूप से कोरबा शहर में वायु प्रदूषण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;**

(ख) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ग) **इस समय देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कितना है और इसके क्या कारण हैं; और**

(घ) **सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?**

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट):** (क) और (ख) सामान्यतया मध्य प्रदेश में तथा विशेषरूप से कोरबा में वायु प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कोरबा के बारे में शिकायत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्रों और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड से होने वाले प्रदूषण से संबंधित है।

(ग) प्रमुख नगरों में जन संख्या में वृद्धि होने, मोटर-गाड़ियों, औद्योगिक गतिविधियों तथा प्राकृतिक धूल भरी परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण के स्तरों में वृद्धि हो रही है। देश के प्रमुख नगरों में वायु प्रदूषण की स्थिति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**।

(घ) सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
2. मई 1994 में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना द्वारा विशेष उद्योगों के स्थान निर्धारण एवं प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
3. उद्योगों को कहा गया कि वे उत्सर्जनों को निर्धारित मानकों के भीतर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें। दोषी इकाइयों के विरूद्ध संगत अधिनियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाती है।
4. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषक उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
5. परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
6. वाहनों के लिए मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
7. लोगों को सांविधिक/दण्डात्मक उपबंधों तथा वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
8. कैटेलिटिक कन्वर्टर्स युक्त चार-पहिए वाले पेट्रोल